कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2023—2024

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, के पीएसएम विभाग **(Preventive & social medicine)** तथा संबद्ध शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जी.एम.एच. रीवा के लिए वाहन किराये पर लिये जाने हेतु ई—निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निविदा कमांक— 14 /2023—24

निविदा फार्म मूल्य रू. 500/—

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क 14 / 2023–24

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	06-12-2023 11.00 AM	27-12-2023 5.00 PM
2	BID SUBMISSION ONLINE	06-12-2023 11.00 AM	27-12-2023 5.00 PM
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	28-12-2023 12.35 PM onwards	–
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104, +91–9179705483, +91–9644695933, +91–8839844861

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये **20000.000 (बीस हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेषन की छायाप्रति।
4. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेषन की छायाप्रति।
6. वाहन पीयूसी (प्रदूषण) प्रमाण पत्र।
7. 100 रू. के नान–ज्यूडिषियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराईज्ड घोषणा पत्र।
8. वाहन के जीवित रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) की छायाप्रति।
9. वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति आरटीओ द्वारा जारी।
10. वाहन के कम्प्रेन्सिव बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
11. वाहन मॉडल 2021 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
12. वाहन मालिकों को वाहन का भौतिक सत्यापन तकनीकी ब्रिड से पहले एंव उसी वाहन को टेण्डर अवार्ड होने के बाद उपलब्ध कराना होगा।

निविदा की नियम एवं शर्ते

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, के पीएसएम विभाग (Preventive & social medicine) तथा संबद्ध शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जी.एम.एच. रीवा के लिए वाहन किराये पर लिये जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. निविदाकार को प्रतिदिन प्रतिकिलोमीटर की दर पर छात्राओं को आवष्यकतानुसार 52/60 सीटर बस से लाना ले जाना होगा।
3. निविदा अवधि निविदा स्वीकृत के दिनांक से 03 वर्ष के लिये होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु कार्य आदेश जारी किया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि आगामी एक–एक वर्ष हेतु बढाई जा सकेगी।
4. कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
5. निविदा अवधि पूर्ण होने अथवा नवीन निविदा प्रभावषील होने तक यदि अनुबंधकर्ता के द्वारा बीच में कार्य बाधित किया जाता है, तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को परफार्मेंस गारंटी की राषि राजसात कर ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा।
6. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 500.00 (पांच सौ मात्र) निर्धारित हैं यह राषि किसी भी दषा में वापसी योग्य नही है।
7. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
8. **कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेषन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।**
9. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये **20000.000 (बीस हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर ब्याज देय नही होगा।
10. जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होंगी उससे परफार्मेंस गारंटी के रूप में राशि रू. 01.00 लाख का डीडी के रूप में अनुबंध करने के समय जमा करनी होगी।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार होगा।
12. केवल उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जावेगी जो संस्था के स्वामी या पार्टनर या वैध प्रतिनिधि हो अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

13. निर्धारित परफारमेंस सिक्यूरिटी जमा नही कराने की स्थिति में अनुबंध नही किया जावेगा एवं ऑनलाईन जमा धरोहर राषि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/वाहन मालिक को अनुबंध की शर्तों/षासकीय नियमों/कर प्रावधानों आदि हेतु समय–समय पर जारी आदेषों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं अन्य निविदाकारों की समान दर एवं शर्तों पर कार्यालय द्वारा अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
15. विभाग को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्षाये 30 दिवस का लिखित नोटिस/सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सके।
16. निविदाकार के अनुबंध के पश्चात् उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि उसके द्वारा बिना उचित व पर्याप्त कारणों के या बिना पर्याप्त अवधि पूर्व सूचना दिए हीला हवाली कर बीच में अनुबंध समाप्त किया जा सकें।
17. सफल निविदाकार यदि स्वीकृति दर पर विभाग की आवष्यकतानुसार एक या एक से अधिक वाहन उपलब्ध नही कराता है तो अन्य निविदाकार से वाहन अनुबंधित करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
18. वाहन मय चालक एवं फास्टटैग खाते में न्यूनतम राषि 1000/– (एक हजार) के साथ प्रभारी अधिकारी/संबधित अधिकारी के नियंत्रण सदैव (24 x 7 दिवस में) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. देयक का भुगतान अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर वाहन के नियंत्रण अधिकारी के सत्यापन के पष्चात् किया जावेगा एवं वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा जिसे उपयोगकर्ता सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।
20. वाहन के लिए फ्यूल/डीजल की व्यवस्था वाहन स्वामी को वहन करना होगा।
21. वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नही रहेगा। इसके लिए निविदाकार स्वंय जिम्मेदार होगा। यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था के मालिक के नाम से पंजीकृत नहीं है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य सम्पादित करार नामा प्रस्तुत करना होगा।
22. निविदाकार को वाहन के साथ वाहन चालक का मूल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन से संबधित मूल दस्तावेज तथा रजिस्ट्रेशन बुक, बीमा, पीयूसी सर्टिफिकेट इत्यादि उपलब्ध कराना होगा। इस सबंध में आर.टी.ओं. द्वारा किसी प्रकार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो निविदाकार को स्वंय वहन करना होगी। निविदाकार को वाहन का नियमित मेंटेनेन्स किया जाना आवष्यक है।
23. वाहन चालक का आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक की षिकायत आने पर वाहन तत्काल बंद कर दिया जावेगा तथा निविदाकार को उसके बदले अन्य वाहन चालक देना होगा।
24. आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 06 बसों की की आवश्यकता हो सकती है, यह उपयोगकर्ता विभागों द्वारा मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
25. वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने वाला नही होना चाहिए।

26. वाहन में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे कैमरे, फायर एक्सटिंग्यूषर्स, फर्स्ट एड किट एंव इमरजेंसी हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध होना चाहिए।
27. वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी प्रकार की क्षति पूर्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा नहीं की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना, तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिए भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।
28. वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी, नही किये जाने पर अन्य वाहन का उपयोग करने के लिये संस्था स्वंय स्वतंत्र होगी। जिसके व्यय की वसूली निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से की जावेगी।
29. यदि वाहन निर्धारित अनुबंध अवधि में उपलब्ध नही कराया जाता है तो शास्ती रूपयें 10000/– प्रतिदिन के मान से अधिरोपित की जावेगी तथा वाहन उपलब्ध नही कराये जाने पर प्रभारी अधिकारी अन्य वाहन की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिमूर्ति प्रभारी अधिकारी को की जाकर उसकी वसूली निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से की जावेगी।
30. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
31. देय समस्त शासकीय/अन्य करों का नियमानुसार भुगतान करने की जवाबदारी वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की होगीं। नियामानुसार करों का कटौत्रा स्त्रोत पर किया जावेगा। कर भुगतान करने सबंधि रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
32. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति मे न्यायालय रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	धरोहर राशि रूपये **20000.000 (बीस हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेषन की छायाप्रति।				
4.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
5	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेषन की छायाप्रति।				
6	वाहन पीयूसी (प्रदूषण) प्रमाण पत्र।				
7.	100 रू. के नान–ज्यूडिषियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराईज्ड घोषणा पत्र अधिकृत निविदाकर्ता का शपथ पत्र जिसका कोई भी केस लंबित नही है।				
8.	वाहन के जीवित रजिस्ट्रेषन (पंजीयन) की छायाप्रति।				
9.	वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति आरटीओ द्वारा जारी।				
10	वाहन के कम्प्रेन्सिव बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील एंव मो. ....

—घोषणा—पत्र—

(100/— रूपये के नान—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है ।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित कुशल/अकुशल दर पर भुगतान करूँगा।
9. मेरी/हमारी संस्था के विरूद्व न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
10. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूँगा।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर में स्वयं उत्त्रदायी रहूंगा।
12. मेरे उपर किसी भी थाने में केस लंबित नही है न ही मुझे भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में दोषी ठहराया गया है।

दिनांकः

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम— ....

पूरा पता— ....

फोन एवं मोबा. न.— ....

ई–निविदा
दर सूची (केवल ऑनलाईन भरी जावे)

स.क	विवरण	दर	जीएसटी यदि लागू हो	कुल योग
1.	52 सीटर बस का प्रति किलोमीटर किराया			
2.	60 सीटर बस का प्रति किलोमीटर किराया			

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता